न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली , जनपद :बरेली , तहसील :आंवला
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202212130207569
वाद संख्या:- 7569/2022
सिदार्थ सिहं बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 20/09/2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री सिदार्थ सिहं पुत्र जगदीश सिहं निवासी 289/9 अमृतपुरी कालका जी दक्षिण दिल्ली हाल निवासी 3/4 ग्रेटर ग्रीन पार्क बरेली, के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुआ। जिसमें कहा गया कि ग्राम फिरोजपुर परगना वल्लिया तहसील आंवला के खाता सं0 00322 गाटा सं0 229 रकबा 0.130है0 पूर्ण भाग गाटा सं0 230क रकबा 0.170है0 का पूर्ण भाग गाटा सं0 230ख रकबा 0.150है0मैं से अंशिक भाग 0.075है0 गाटा सं0231क रकबा 0.530है0 में से अंशिक भाग 0.265है0 व गाटा सं0 250ग रकबा 0.220है0 में से 0.110है0 कुल पॉच किता कुल रकबा 0.750 है0 जो निर्माणधीन है। जिसको वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना है, तदानुसार आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार आंवला से स्थलीय जांच करायी गयी। तहसीलदार आंवला द्वारा दी गयी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 16.09.2022 में इंगित किया गया है कि ग्राम फिरोजपुर परगना व तहसील आंवला के के खाता सं0 00322 गाटा सं0 229 रकबा 0.130है0 पूर्ण भाग गाटा सं0 230क रकबा 0.170है0 का पूर्ण भाग गाटा सं0 230ख रकबा 0.150है0मैं से अंशिक भाग 0.075है0 गाटा सं0231क रकबा 0.530है0 में से अंशिक भाग 0.265है0 व गाटा सं0 250ग रकबा 0.220है0 में से 0.110है0 कुल पॉच किता कुल रकबा 0.750है0 जो निर्माणधीन है। गैर कृषि प्रयोजन में आ गया है। तदानुसार प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का परीक्षण किया गया। तहसीलदार आंवला की उक्त जांच आख्या एवं फोटोग्राफ के अवलोकन से विदित है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को वाणिज्यिक प्रयोग में लाया जा रहा है जिस पर पक्का निर्माण है। तहसीलदार आंवला द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की गयी है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि के मूल्याकन का 1 प्रतिशत 26140 - छब्बीस हजार एक सौ चालीस रूपये चालान द्वारा बैंक में जमा कर दिया गया है तथा इतनी ही धनराशि का कोर्ट फीस स्टाम्प जमा किया गया है। आवेदक के सहखातेदारों द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति शपथ पत्र के माध्यम से दी गयी है। न्यायहित में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उक्त विवेचना के आधार पर ग्राम फिरोजपुर परगना व तहसील आंवला के खाता सं0 00322 गाटा सं0 229 रकबा 0.130है0 पूर्ण भाग, गाटा सं0 230क रकबा 0.170है0 का पूर्ण भाग, गाटा सं0 230ख रकबा 0.150है0मैं से अंशिक भाग 0.075है0, गाटा सं0231क रकबा 0.530है0 में से अंशिक भाग 0.265है0, व गाटा सं0 250ग रकबा 0.220है0 में से 0.110है0, कुल पॉच किता में से कुल रकबा 0.750 है0 जो निर्माणधीन है। पूर्ण व अंशिक भाग को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक आंवला को एवं दो प्रतियां तहसीलदार आंवला को अमलदरामद हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

दिनांक 20.09.2022

(नहने राम)
उप जिलाधिकारी
आंवला।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - उपजिलाधिकारी

मण्डल :बरेली , जनपद :बरेली , तहसील :आंवला

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202212130207570

वाद संख्या:- 7570/2022

जगदीश सिहं बनाम सरकार

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 20/09/2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री जगदीश सिहं पुत्र गंगाराम निवासी निकट रोहिलखण्ड यूनिवर्सिटी एस 3/42 ग्रेटर ग्रीन पार्क बरेली, के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुआ। जिसमें कहा गया कि ग्राम फिरोजपुर परगना व तहसील आंवला के खाता सं0 00366गाटा सं0 250न रकबा 0.1100 है0 मैं से अंशिक भाग 0.0733है0 जो निर्माणधीन हंै। जिसको वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना है, तदानुसार आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार आंवला से स्थलीय जांच करायी गयी। तहसीलदार आंवला द्वारा दी गयी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 16.09.2022 में इंगित किया गया है कि ग्राम फिरोजपुर परगना व तहसील आंवला के के खाता सं0 00366गाटा सं0 250न रकबा 0.1100 है0 मैं से अंशिक भाग 0.0733है0 गैर कृषि प्रयोजन में आ गया है। तदानुसार प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का परीक्षण किया गया। तहसीलदार आंवला की उक्त जांच आख्या एवं फोटोग्राफ के अवलोकन से विदित है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को वाणिज्यिक प्रयोग में लाया जा रहा है जिस पर पक्का निर्माण है। तहसीलदार आंवला द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की गयी है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि के मूल्याकंन का 1 प्रतिशत 2200 - दो हजार दो सौ रूपये चालान द्वारा बैंक में जमा कर दिया गया है तथा इतनी ही धनराशि का कोर्ट फीस स्टाम्प जमा किया गया है। आवेदक के सहखातेदारों द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति शपथ पत्र के माध्यम से दी गयी है। न्यायहित में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उक्त विवेचना के आधार पर ग्राम फिरोजपुर परगना व तहसील आंवला के खाता सं0 00366गाटा सं0 250न रकबा 0.1100 है0 मैं से अंशिक भाग 0.0733है0 जो निर्माणधीन हंै का अंशिक भाग को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक आंवला को एवं दो प्रतियां तहसीलदार आंवला को अमलदरामद हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

दिनांक 20.09.2022

(नहने राम)

उप जिलाधिकारी

आंवला।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"